

DATE- 07/10/2024

DAY-1<sup>st</sup>

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर







DATE- 08/10/2024

DAY-2<sup>ND</sup>

केन्द्रीय जेल ग्वालियर





DATE- 09/10/2024

DAY-3<sup>RD</sup>

# नारायण वृद्धाश्रम लक्ष्मीगंज ग्वालियर





DATE- 10/10/2024

DAY-4<sup>TH</sup>

वन स्टॉप सेंटर, शासकीय जयारोग्य अस्पताल

ग्वालियर









DATE- 14/10/2024

DAY-5<sup>TH</sup>

प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड ग्वालियर



DATE- 15/10/2024

DAY-6<sup>TH</sup>

प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय  
ग्वालियर






DATE- 16/10/2024

DAY-7<sup>TH</sup>

उपभोक्ता फोरम, सिटी सेंटर, ग्वालियर



DATE- 17/10/2024

DAY-8TH

श्री अमित मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम

श्रेणी

(कक्ष क्रमांक-310 तृतीय तल)







DATE- 18/10/2024

DAY-9<sup>TH</sup>

शास्कीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. ग्वालियर





DATE- 21/10/2024

DAY-10TH

मानसिक आरोग्य शाला विनय नगर, बहोड़ापुर

ग्वालियर







DATE- 22/10/2024

DAY-11<sup>TH</sup>

श्री अमन सुलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

(कक्ष क्रमांक-413 चतुर्थ तल)



DATE- 23/10/2024

DAY-12<sup>TH</sup>

श्रम न्यायालय, मोतीमहल ग्वालियर







DATE- 24/10/2024

DAY-13<sup>TH</sup>

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
ग्वालियर





DATE- 25/10/2024

DAY-14<sup>TH</sup>

मध्यस्थता केंद्र, जिला न्यायालय  
ग्वालियर





**DATE- 04/11/2024**

**DAY-15<sup>TH</sup>**

**बाल कल्याण समिति, प्रीतम विहार**

**काँलोनी, ग्वालियर**

**18 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा अपराध किये जाने पर पुलिस की भूमिका**

**क्या करें ?**

- ✓ विशेष किशोर पुलिस ईकाई/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सूपुर्द करें।
- ✓ मात-पिता/परिवीक्षा अधिकारों को तुरंत सूचना।
- ✓ त्वरित निःशुल्क विधिक सहायता।
- ✓ 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के स्थान पर दैनिक डायरी में सूचना दर्ज करें।
- ✓ 24 घण्टे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।
- ✓ बालक को सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करें।
- ✓ बालक के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें।
- ✓ देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद बालक होने पर बाल कल्याण समिति को सूचना।

**क्या न करें ?**

- ✗ बालक को अपराध से संबंधित लेा विवश न करें।
- ✗ बालक को पुलिस रुवालात में बंद न रखें।
- ✗ बालक की पहचान सर्वजनिक न को/मिजता को सुरक्ष।
- ✗ 7 वर्ष से कम सजा के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करें।
- ✗ छोटे अपराधों में बालक को गिरफ्तार न करें।
- ✗ वयस्कों के साथ बालक को न रखें।
- ✗ बाल कल्याण पुलिस अधिकारों/विशेष पुलिस किशोर ईकाई क्यों में न रहें।
- ✗ बालक को यात्रि में धने में न रखें।

**"बच्चे हमारे सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं"**

नोट : बालक के प्रति क्रूर व अपमान/अभिमान जतक व्यवहार किशोर न्याय जांचकिसम, 2013 के अंतर्गत रपचनर अपराध है।

**मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जलपुर**  
574, साउथ सिविल लाइन्स, जलपुर (म.प्र.), दूरभाष: (0761) 2678352,  
ईमेल - mpjsab@nic.in वेबसाइट - mpsjsa.gov.in



DATE- 05/11/2024

DAY-16<sup>TH</sup>

श्री गौतम भट्ट, तेईसवें डीजे,

(कक्ष क्रमांक-206 द्वितीय तल)









DATE- 06/11/2024

DAY-17<sup>TH</sup>

श्रीमती वंदना राज पांडे ,जिला

न्यायाधीश,

(कक्ष क्रमांक-502 पंचम तल)





DATE- 07/11/2024

DAY-18<sup>TH</sup>

श्रीमती मीनाक्षी रावत, जेएमएफसी,

(कक्ष क्रमांक- 412 चतुर्थ तल)





DATE- 08/11/2024

DAY-19<sup>TH</sup>

श्री तपन धारगा, जेएमएफसी,

(कक्ष क्रमांक- 211 द्वितीय तल)





## EXTRA PHOTOS:-







